न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम,अम्बेडकरनगर।
उपस्थितः– श्री राम विलास सिंह (एच.जे.एस)

UPAN010021982023

Criminal Revision/135/2023

1. रमेश सिंह उम्र लगभग–51 वर्ष पुत्र स्व0 उमानाथ सिंह
2. आदित्य सिंह उम्र लगभग–36 वर्ष पुत्र अरूण कुमार सिंह
3. रवीन्द्र बहादुर सिंह उम्र लगभग–60 वर्ष पुत्र स्व0 इन्द्रसेन सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम व पोस्ट–आशापार, थाना–जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

.....प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश
2. घनश्याम सिंह उम्र लगभग–57 वर्ष पुत्र स्व0 अवधराज सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–आशापार, थाना– जैतपुर,जनपद अम्बेडकरनगर। .....विपक्षीगण

निर्णय

1. वर्तमान फौजदारी पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–397/399 दं0प्र0सं0 परिवाद संख्या–590/2021 घनश्याम सिंह बनाम रमेश सिंह आदि के मामले में सिविल जज ज ूडि. टाण्डा/न्यायिक मजिस्ट्रेट,.अम्बेडकरनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2. प्रार्थी घनश्याम सिंह द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156–3 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में अभिकथित कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की याचना की गयी थी।

3. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत किया गया और उसके उपरांत प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित करते हुए दिनांक 12.07.2021 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156–3 द.प्र.सं.को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया। परिवादी द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष स्वंय को धारा–200 द.प्र. सं. के तहत एवं धारा–202 द.प्र.सं. के तहत पी.डब्लू.1 रमेश कुमार सिंह व पी.डब्लू.2 अमित कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया और तलबी बहस सुनकर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विपक्षीगण रमेश सिंह,आदित्य सिंह व रवीन्द्र बहादुर सिंह को धारा–323,452,504,506 भा.द.सं. में विचारण हेतु तलब करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा यह दाण्डिक निगरानी योजित की गयी है।

4. दाण्डिक पुनरीक्षण में कथन किया गया कि परिवादी ने दिनांक 19–04–2021 को अवर न्यायालय में अन्तर्गत धारा–156 (3) जा०फौ० के तहत इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया कि निगरानीकर्ता एक राय होकर दिनांक 05–02–2021 को प्रातः समय लगभग 7:00 बजे परिवादी की सहन की जमीन पर कब्जा करने की नियत से जबरदस्ती दीवाल बनाने हेतु नींव की खुदाई कर रहे थे। प्रार्थी ने मना किया तो रवीन्द्र बहादुर सिंह ने अपने लाइसेन्सी राइफल से प्रार्थी के गले मे सटा कर गोली मारना चाहा परन्तु फायर मिस हो गया और प्रार्थी जान बचाने की गरज से अपने घर के अन्दर भागा परन्तु रमेश सिंह, आदित्य सिंह एंव रवीन्द्र बहादुर सिंह ने प्रार्थी को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से दौड़ा लिये। परिवादी के घर में घुस कर परिवादी को घसीट–घसीट कर मारने लगे रवीन्द्र बहादुर सिंह ने अपने लाइसेन्सी राइफल की वट से काफी धुस की चोटे मारा है। रमेश सिंह ने प्रार्थी के गले में पहने हुए दो तोले की चैन को झपट्टामार कर छीन लिया और कहा साले तुम कही शिकायत करोगे तो जान से मार कर समाप्त कर दूंगा। प्रार्थी की पत्नी ने गोहार लगायी। गांव वालो को आता देख कर विपक्षीगण/ निगरानीकर्तागण भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मार

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.06.01 16:40:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

डालने की धमकी देते हुए भाग गये। परिवादी ने दिनांक 05–02–2021 को थानाध्यक्ष जैतपुर को मुकदमा लिखने हेतु प्रार्थनापत्र दिया परन्तु विपक्षी/निगरानीकर्तागण के प्रभाव व राजनैतिक दबाव में प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नही हुई और न ही मेडिकल परीक्षण ही कराया गया। इसके पश्चात दिनांक 06–02–2021 को प्रार्थी/ परिवादी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अकबरपुर में अपना मेडिकल परीक्षण कराया। परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) जा०फौ० अवर न्यायालय में दिया जिसे अवर न्यायालय ने दिनांक 12–07–2021 को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया। परिवादी ने अपना बयान अन्तर्गत धारा–200 जा० फौ० एंव गवाह अमित कुमार एंव रमेशकुमार सिंह को अन्तर्गत धारा 202 जा०फौ० में परीक्षित कराया, गवाह परीक्षित होने के पश्चात दिनांक 10–05–2023 को अवर न्यायालय ने निगरानीकर्तागण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323, 504,506,452 भा०द०स० के तहत तलबी का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता गण के द्वारा निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही हैः–

<u>आधार निगरानी</u>

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किये वगैर निगरानीकर्तागण के विरूद्ध दिनांक 10–05–2023 को तलबी का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध एंव नैसर्गिक न्याय नियमो के विपरीत है। अतएंव हर हालत में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–05–2023 निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी द्वारा दाखिल किये गये परिवाद पत्र में किसी गवाह के नाम का तस्करा नहीं है इसके बावजूद परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 जा०फौ० में गवाह राजकुमार सिंह, रमेश तथा सत्यनारायन को शोर गुल सुन कर आने की बात कही गयी है परन्तु उनके द्वारा घटना देखने की बात नही कही गयी है जबकि बयान 202 जा०फौ० के अन्तर्गत अमित कुमार व रमेश सिंह को प्रस्तुत किया है। घटना के आवश्यक गवाह अपनी पत्नी को भी साक्षी के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया है इसके बावजूद विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्ही साक्ष्यो पर विश्वास करके तलबी का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है अतएंव हर हालत में निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी का बयान एंव गवाहो के बयानात एंव मेडिकल रिपोर्ट में परस्पर विरोधाभाष होने के बावजूद उनके साक्ष्यो का सही ढंग से परिशीलन किये वगैर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवादित आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है एंव निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी का सम्पूर्ण कथन फर्जी एंव संदिग्ध होने के बावजूद विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवादित आदेश पारित किया है जबकि परिवादी व निगरानीकर्तागण एक ही परिवार के है और एक ही मकान के अलग अलग भाग में रहते है। जमीनी विवाद के कारण निगरानीकर्तागण को साजिशन उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है ऐसी स्थिति में धारा 452 भा०द०स० में भी तलबी का आदेश पारित कर महान भूल की है ऐसी स्थिति में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अविवेक पूर्ण आदेश पारित किया है जो न्याय नियमो के विपरीत है तथा हर हालत में निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का सही ढंग से परिशीलन किये वगैर दिनांक 10–05–2023 को निगरानीकर्तागण के विरूद्ध तलबी का आदेश पारित किया है जो न्याय नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि निगरानीकर्ता गण की निगरानी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–05–2023 निरस्त करने की कृपा की जावे।

5. विपक्षी संख्या–2 घनश्याम सिंह न्यायालय उपस्थित आये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं विपक्षी संख्या–2 घनश्याम सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानीकर्ता के कथनों का विरोध किया गया तथा यह कथन किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर निगरानी दाखिल किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

6. निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष

7. पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि–''विपक्षीगण ने एकराय होकर दिनांक 05.02.2021 को प्रातः समय लगभग 07:00 बजे प्रार्थी की सहन की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जबरदस्ती दीवाल बनाने हेतु नींव की खुदाई कर रहे थे। प्रार्थी ने मना किया तो रवीन्द्र बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेन्सी राइफल से प्रार्थी के गले पे सटाकर गोली मारना चाहा परन्तु फायर मिस हो गया और प्रार्थी जान बचाने की गरज से अपने घर के अन्दर भागा, परन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थी को भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए जान से मारने की नीयत से दौडा लिये। प्रार्थी के घर में घुसकर प्रार्थी को घसीट–घसीट कर मारने लगे। रवीन्द्र बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेन्सी राइफल की बट से प्रार्थी को काफी धुस की चोटें मारा है। रमेश सिंह ने प्रार्थी की गले में पहने दो तोले सोने की चेन को झपट्टा मारकर छीन लिया और गाली देते हुए कहा कि यदि तुम कहीं शिकायत करोगे, तो जान से मारकर समाप्त कर दूंगा। प्रार्थी की पत्नी ने जोर–जोर से गुहार लगायी, गाँव वालों को आता देखकर विपक्षीगण भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी देकर भाग गये।''

परिवादी द्वारा अपने परिवाद कथानक के समर्थन में स्वंय को धारा–200 द.प्र.सं. व 202 द.प्र.सं. के तहत रमेश कुमार सिंह व पी.डब्लू.2 अमित कुमार को परीक्षित कराया और उसके उपरांत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.05.2023 पारित करते हुए विपक्षीगण रमेश सिंह,आदित्य सिंह व रवीन्द्र बहादुर सिंह को धारा–323,452,504,506 भा.द. सं. में तलब किया गया।

परिवादी द्वारा अपने बयान धारा–200 द.प्र.सं. में यह कथन किया गया है कि–''घटना दिनांक 05.02.2021 की है। सुबह लगभग–7.00 बजे अपने आबादी की जमीन में बरदौर खिला रहे थे। तभी मैंने देखा कि विपक्षीगण रमेश सिंह,आदित्य सिंह तथा रवीन्द्र सिंह संयुक्त सहन की जमीन को नींव खोद रहे थे। मेरे द्वारा मना करने पर उपरोक्त विपक्षीगण मुझे पकड लिये। इतने में रवीन्द्र बहादुर लाइसेंसी रायफल मेरे गले से सटा दिये। फायर नहीं किये। मैं अपने घर में भागा। इसके बाद उपरोक्त तीनों लोग मेरे घर में घुसकर मुझे मारे पीटे। रवीन्द्र मेरे गले से चेन छीन लिया। मैंने चिल्लाया तो राजकुमार सिंह,रमेश तथा सत्यनरायन आ गये तब विपक्षीगण भाग गये।'' इसप्रकार परिवादी द्वारा जहॉ अपने परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि विपक्षीगण उसकी सहन की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जबरदस्ती दीवाल बनाने हेतु नींव की खुदाई कर रहे थे। प्रार्थी ने मना किया तो रवीन्द्र बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेन्सी राइफल से प्रार्थी के गले पे सटाकर गोली मारना चाहा परन्तु फायर मिस हो गया जबकि अपने बयान धारा–200 द.प्र.सं0. में यह कथन किया गया है कि विपक्षीगण ने मुझे पकड़ लिया और रवीन्द्र बहादुर ने लाइसेंसी रायफल मेरे गले से सटा दिया। फायर नहीं किये। इसप्रकार जहॉ परिवादपत्र में रवीन्द्र बहादुर द्वारा गले पर सटा कर गोली चलाना व गोली मिस हो जाने का कथन किया है वहीं धारा 200 द.प्र.सं. के बयान में मात्र गले पर रायफल सटाना कहा और फायर न करने का स्पष्ट रूप से कथन किया गया है। इसप्रकार इस संबंध में परिवादी के परिवाद कथानक व बयान धारा–200 द.प्र.सं. में स्पष्ट रूप से विरोधाभाष है।

परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी जान बचाने की गरज से अपने घर के अन्दर भागा, परन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थी को भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिये। प्रार्थी के घर में घुसकर प्रार्थी को घसीट–घसीट कर मारने लगे। रवीन्द्र बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेन्सी राइफल की बट से प्रार्थी को काफी धुस की चोटें मारा है। रमेश सिंह ने प्रार्थी की गले में पहने दो तोले सोने की चेन को झपट्टा मारकर छीन लिया और गाली देते हुए कहा कि यदि तुम कहीं शिकायत करोगे, तो जान से मारकर समाप्त कर दूंगा। जबकि परिवादी द्वारा अपने बयान धारा–200 द.प्र.सं. में यह कथन किया गया है कि मैं घर में भागा तो तीनों लोग घर में घुसकर मारे। परिवादी द्वारा अपने बयान धारा–200 द.प्र.सं. में मारने के साधन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जबकि परिवादपत्र में घसीट–घसीट कर व राइफल के बट से मारने का कथन है। इसप्रकार इस संबंध में भी परिवाद कथानक व परिवादी के बयान में परस्पर घोर विरोधाभाष है।

परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में विपक्षीगण द्वारा गाली देने व जान से मारने की धमकी देने का कथन किया गया है जबकि परिवादी द्वारा अपने बयान धारा–200 द.प्र.सं. में गाली देने व जान से मारने की धमकी देने का कोई कथन नहीं किया गया है। इसप्रकार

इस संबंध में भी परिवाद कथानक व परिवादी के बयान में परस्पर विरोधाभाष परिलक्षित होता है।

परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी की पत्नी ने जोर–जोर से गुहार लगायी, गाँव वालों को आता देखकर विपक्षीगण भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी देकर भाग गये। जबकि परिवादी ने अपने बयान धारा–200 द. प्र.सं. में यह कथन किया है कि मैं चिल्लाया तो राजकुमार सिंह,रमेश तथा सत्यनरायन आ गये तब विपक्षीगण भाग गये। इसप्रकार परिवाद कथानक में उसकी पत्नी के चिल्लाने पर गांव वालों को आता देखकर विपक्षीगण गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए भागना कहा है जबकि अपने बयान धारा–200 द.प्र.सं. में स्वंय के चिल्लाने पर राजकुमार सिंह,रमेश व सत्यनरायन के आने पर विपक्षीगण को भागना कहा है। इसप्रकार इस संबंध में भी परिवाद कथानक व परिवादी के बयान में परस्पर विरोधाभाष परिलक्षित होता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा अपनी पत्नी को गवाह के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है।

धारा–202 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित कराये गये रमेश कुमार सिंह ने पी.डब्लू.1 के रूप में अपने बयान में यह कथन किया है कि–''घटना दिनांक 05.02.2021 को प्रातः 7.00 बजे हमारे गॉव के घनश्याम सिंह के पुश्तैनी जमीन पर रमेश सिंह, आदित्य सिंह व रवीन्द्र बहादुर सिंह गोलबन्द होकर हथियार से लैस होकर जबरदस्ती नींव बनाने के लिए नींव खोद रहे थे। घनश्याम सिंह ने विरोध किया तभी रवीन्द्र बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेंसी रायफल से घनश्याम सिंह के गले में गोली मारने का प्रयास किया।रायफल की ट्रेगर दबने से किट की आवाज आयी परन्तु रायफल में गोली फंस गयी जिससे फायर मिस हो गया। घनश्याम सिंह अपनी जान बचाने के लिए घर में भागे तो विपक्षीगण ने भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से दौडा लिया लिए। विपक्षीगण एक राय होकर घनश्याम सिंह के घर में घुसकर घसीट घसीट कर मारने लगे। रवीन्द्र बहादुर सिंह नेअपनी रायफल की वट से काफी धूस की चोट मारा। रमेश सिंह ने घनश्याम सिंह के शरीर पर पहने कपडे को फाडते हुए गले में पहनी सोने की सीकड को जबरन छीन लिये। घनश्याम सिंह की पत्नी ने जोर–जोर से गोहार लगायी। गांव वालों को आता देखकर विपक्षीगण भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।'' इस साक्षी के सम्पूर्ण बयान के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि इस साक्षी द्वारा घनश्याम सिंह की पत्नी के शोर मचाने पर गांव वालों को आता देखकर विपक्षीगण द्वारा गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने का कथन किया गया है। इस साक्षी ने अपने सम्पूर्ण बयान में यह कहीं भी नहीं कहा है कि उसने घटना को अपनी ऑखों से घटित होते हुए देखा है। इस साक्षी ने अपने बयान में यह कथन किया है कि घनश्याम सिंह के शरीर पर पहने हुए कपड़े को रमेश सिंह ने फाड़ते हुए सीकड़ को जबरदस्ती छीन लिये जबकि परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र या अपने बयान में कहीं भी कपड़ा फाड़ने का कोई कथन नहीं किया गया है। इस साक्षी द्वारा गोली रायफल में फंस जाने का कथन किया गया है जबकि परिवादी द्वारा गोली चलने से ही इंकार किया गया है। इसप्रकार इस साक्षी के बयान व परिवादी के बयान व परिवाद कथानक में परस्पर घोर विरोधाभाष है। साक्षी पी.डब्लू.2 अमित कुमार ने अपने बयान में गोली मारना व फायर मिस हो जाने का कथन किया गया है जबकि परिवादी ने गोली चलने से अपने बयान में इंकार किया है। इस साक्षी ने परिवादी का कपड़ा फाड़ने का कोई कथन नहीं किया गया है।

इसप्रकार परिवादी एवं उसके द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उसके बयान में मारने के साधन को लेकर विरोधाभाष है। गोली चलने को लेकर विरोधाभाष है। गालियां व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में परिवाद कथानक व परिवादी के बयान व साक्षीगण के बयान ` विरोधाभाष है। परिवादी की पत्नी जिसे घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है उसे न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादी की ओर से धारा–202 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित कराये गये दोनों साक्षियों ने घटना अपनी आंखों से देखने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। परिवाद कथानक, परिवादी के बयान व साक्षीगण के बयान में परस्पर विरोधाभाष होने के बावजूद भी विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इन सब तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकबरपुर अम्बेडकरनगर को चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने हेतु लिखे गये पत्र की प्रति संलग्न है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उसमें प्रार्थी घनश्याम सिंह द्वारा दिनांक

05.02.2021 को समय शाम 5.00 बजे अभियुक्तगण द्वारा उसे मारने पीटने से चोटें आने का कथन किया गया है जबकि परिवादपत्र व परिवादी व उसके साक्षियों के बयान में घटना का दिनांक 05.02.2021 समय 7.00 बजे सुबह बताया गया है। इसप्रकार घटना के समय को लेकर प्रार्थी घनश्याम सिंह द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकबरपुर अम्बेडकरनगर को घटना का समय 5.00 बजे शाम को अपने प्रार्थनापत्र में बताया गया है तथा परिवादपत्र में घटना का समय 7.00 बजे सुबह बताया गया है। इसप्रकार घटना के समय को लेकर भी विरोधाभाष परिलक्षित होता है।

विद्वान अवर न्यायालय के आदेश के परिशीलन से विदित होता है कि अपने आदेश में मात्र यह अंकित किया गया है कि –''परिवादी एवं साक्षीगण ने अपने बयानों में मार पीट करने,भद्दी–भद्दी गाली देने घर में घुस कर मारने पीटने का समर्थन किया है।'' और इन्हीं निष्कर्षो के आधार पर विपक्षीगण को विचारण हेतु धारा–323,452,504,506 भा.द.सं. में तलब किया गया है। इसप्रकार यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तलबी आदेश पारित करते हुए परिवाद कथानक, परिवादी के बयान धारा–200 द.प्र.सं. व साक्षीगण के बयान धारा–202 द.प्र.सं. का समुचित परिशीलन न करके सरसरी तौर पर आदेश पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

इसप्रकार विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य परिस्थितियों का सम्यक परिशीलन किए बिना सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसे में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य एवं निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज जू.डि.टाण्डा/न्यायिक मजिस्ट्रेट,अम्बेडकरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 निरस्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय में दिये गये निष्कर्षो के आलोक में पुनः सुनवाई करके विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करे।

विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली वापस प्रेषित की जाये। पत्रावली विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.06.2026 को सुनवाई हेतु पेश हो। पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

दिनांकः–01.06.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0कोड नं0–6067

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांकः–01.06.2026

(राम विलास सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0कोड नं0–6067